उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज, प्रयागराज–211002

पत्रांकः 2608 /.....(2026)/UPTET/2026–27 दिनांकः 16/सितम्बर/2026

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET)–2026 के परीक्षा परिणाम में संशोधन के दृष्टिगत अनेक अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदनों के माध्यम से परिणाम में संशोधन हेतु मॉग की गयी। उक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन अयोग द्वारा 06 सदस्यीय समिति का गठन कर प्रत्यावेदनों के माध्यम से मॉगे गये अनुतोष की जॉच कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।

गठित समिति द्वारा आयोग में प्राप्त प्रत्यावेदनों को परीक्षणोपरान्त चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया जो निम्नवत् है :–

1. OMR SHEET में अनुक्रमांक के गोले अथवा प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के गोले अथवा दोनों को त्रुटिपूर्ण भरने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।
2. आयोग द्वारा अपनायी गयी नार्मलाईजेशन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त स्कोर का कम होने विषयक प्रत्यावेदन।
3. उत्तर कुॅजी के आधार पर अपने अंक कम प्राप्त करने सम्बन्धी प्रत्यवेदन।
4. सफल अभ्यर्थियों के परीक्षाफल प्रमाण पत्र में अपने नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, वर्ग में गलती होने के सम्बन्ध में प्रात्यावेदन।

परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा आयोग के समक्ष आख्या/निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा निम्न निर्णय लिये गये :–

श्रेणी संख्या–1– के अन्तर्गत प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग का निर्णय है कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में अभ्यर्थियों को अनेक माध्यम (जारी विज्ञापन, प्रवेश–पत्र, ओ0एम0आर0 एवं कक्ष अन्तरीक्षक के माध्यम से) से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक को भरने/चिन्हित करने सम्बन्धी निर्देश प्रदान करते हुये सम्पूर्ण विधि समझायी गयी एवं उत्तर पत्रक भरने हेतु सावधानियों को भी अंकित किया गया। साथ ही निर्देश प्रदान किये गये कि ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को न भरे जाने अथवा गलत भरने की दशा में ओ0एम0आर0 का मूल्यांकन नहीं होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, क्योंकि मूल्यांकन/स्कोर प्रोसेसिंग प्रक्रिया पूर्णतः आटोमाईजेशन पर आधारित है। अतः आयोग द्वारा दिये गये परीक्षा से पूर्व निर्देश, विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा ओ0एम0आर0 मूल्यांकन सम्बन्धी निर्णयों के आलोक में आयोग द्वारा उक्त श्रेणी के अनुतोष को स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया गया।

श्रेणी संख्या–2 एवं 3– के अन्तर्गत प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग का निर्णय है कि आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित होने से पूर्व अपनी विज्ञाप्ति व विज्ञापन में उल्लेख किया गया कि यदि परीक्षा एक से अधिक दिनों/पालियों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक हेतु स्कोर नार्मलाईजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। उक्त प्रक्रिया में विभिन्न पालियों में प्रस्तुत प्रश्न पत्रों के कठिनायी स्तर के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु उच्च स्तर के सॉफ्टवेयर आधारित वैज्ञानिक सूत्र का प्रयोग करते हुये मूल्यांकन कर परीक्षाफल तैयार किया गया। अन्य परीक्षा संस्थाओं द्वारा अपनायी गयी उक्त प्रक्रिया को विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी सही माना गया है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अतः नार्मलाईजेशन प्रक्रिया में कुछ अभ्यर्थियों के अंक कम होना और कुछ अभ्यर्थियों के अंक अधिक होना स्वाभाविक है। आयोग द्वारा निर्णय लिया गया कि बिन्दु सं0– 2 व 3 सम्बन्धी प्रत्यावेदनों द्वारा मॉगा गया अनुतोष (अंको अथवा नार्मलाईज्ड में परिवर्तन) ग्राह्य नहीं है।

श्रेणी संख्या–4– के अन्तर्गत प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग का निर्णय है कि सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों में नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि एवं वर्ग/श्रेणी में हुई त्रुटियों के सुधार हेतु आयोग के पोर्टल के माध्यम से शीघ्र ही ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जाएगें, जिसको अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं भर कर संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

उपसचिव